



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 12015 तिथि 26/8/2015

1- प्रदीप चौबे पुत्र स्व0 श्री बालकिशन
चौबे

2- सोनू चौबे पुत्र श्रवण कुमार चौबे
निवासीगण दाल बाजार लश्कर
ग्वालियर

— आवेदकगण

बनाम

1- म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

2- अनुविभागीय अधिकारी लश्कर क्षेत्र
ग्वालियर

3- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
जयरोग्य चिकित्सालय समूह
ग्वालियर

4- तहसीलदार तहसील ग्वालियर

— अनावेदकगण



निशारानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता
किरद्द आदेश दिनाक 12-8-2015 पारित द्वारा न्यायालय
तहसीलदार तहसील ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 20/2014-15
/अ-68 जिसके द्वारा प्रार्थीगण के दीर्घकालीन आधिपत्य के संबंध
में बेदखली हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी के बावजूद अतिकामक
मानते हुये बेदखल आदेश पारित किया गया।

त
कार्य
र

OD
RJ

गुरुवाेर २०१५

R-2615-P.B.R/15 गुरुवाेर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	प्रशंकारों एवं अभिभावकों आदि के हेतु वाक्य
८.९.२०१५	<p>मार्गदर्शक की ओर से श्री बंजीत शर्मा आर्जीभाष्यक उपायित। शासन को ओर से श्रीमती रजनी वाजेंद्र शर्मा आर्जीभाष्यक उपायित। शासन पर सुना गया। नहलोलडार गांव और इसके घटकों को बंगाल पार्टि किया गया है, जिसके विरुद्ध उपीष शक्ति किया जाता होता है। ज्ञावधारित है, जिसकी उत्तरवाचिक है। अतः एक दूसरा व्यायाम में प्रकृत करने हेतु वारपीस किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">अधिकारी अधिकारी</p> <p style="text-align: right;">R.S.N. 8.9.15</p>	